राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) सलूम्बर (राज.)

क्रमांक : रसद/प्राधिकार/2025/विज्ञप्ति/राजकाज संदर्भ संख्या दिनांक : ई–हस्ताक्षरित

–::: विज्ञप्ति :::–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ17(1)खावि/विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं पत्रांक एफ17(5) खावि/न्याय/महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा–निर्देशों के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में रिक्त व नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार–पत्र जारी किये जाने हेतु सशुल्क आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जा रहे है। आवेदन पत्र दिनांक 04.05.2026 से कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सलुम्बर (कलेक्ट्रेट परिसर) से (राजकीय अवकाश को छोड़कर) 100/– रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी, सलुम्बर के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते है एवं इसी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 03.06.2026 को सांय 5:00 बजे तक जमा करायें जा सकेंगें। रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	उचित मूल्य दुकान	पोस कोड	ग्राम पंचायत/न.पा.	तहसील	आरक्षण श्रेणी
1	लोदा	5031	ईडाणा	सलुम्बर	अनुसूचित जनजाति (महिला आरक्षित)
2	झाडोल A	5118	झाडोल	जयसमन्द	अनुसूचित जनजाति
3	नाकोली	नवसृजित	केवाडा कलां	जयसमन्द	अनारक्षित
4	पाराई	5133	पाराई	सराडा	अनारक्षित
5	देवपुरा A	5104	देवपुरा	जयसमन्द	अनुसूचित जनजाति
6	भालडिया	28810	भालडिया	जयसमन्द	अनुसूचित जनजाति

उपरोक्त रिक्तियों के सबंध में विभागीय पत्रांक एफ17(1)खावि/विधि/08/दिनांक 17.03.2016 एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों एवं पत्रांक एफ17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देश में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध मे योग्यता, चयन मापदण्ड एवं अन्य दिशा–निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट व जिला रसद कार्यालय, सलूम्बर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उक्त रिक्तियों में कमी/वृद्धि/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरनें/नहीं भरनें के सबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा।

उक्त विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्ति विभिन्न अपीलीय/न्यायालयों के निर्णयों के अध्यधीन होगा।

(मुहम्मद जूनैद)
जिला कलक्टर
सलू...

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.01 16:23:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21933070
eSign 1.0

क्रमांक : रसद / प्राधिकार / 2025 / विज्ञप्ति / राजकाज संदर्भ संख्या **दिनांक : ई–हस्ताक्षरित**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय सांसद महोदय, उदयपुर।
2. माननीय विधायक सलुम्बर / धरियावद / खेरवाडा।
3. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
5. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, उदयपुर।
6. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. उपखण्ड अधिकारी, समस्त जिला सलूम्बर।
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला सलूम्बर समस्त।
9. एसीपी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को भेजकर उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट **food.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करने हेतु।
10. प्रोगामर, डीओआईटी, जिला कलक्ट्रेट सलुम्बर को कलेक्ट्रेट की वेबसाईट पर उपलोड करानें हेतु।
11. सुचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सलुम्बर को जन हित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
सलूम्बर

RajKaj Ref No.: 21933070

eSign 1.0

Signature Not Verified

Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2026.05.01 16:23:49 IST
Reason: Approved